संख्या–175/XLI-1/2012–81/08

113

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 ~~जनवरी~~ फरवरी 2012

विषयः– एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से कालाढुंगी में पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–133/XLI-1/2011–81/08, दिनांक 04.03.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से कालाढुंगी में पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मेडिकल इकाई, हल्द्वानी द्वारा गठित आगणन ₹1154.50 लाख जिसमें से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य (स्ट्रीट लाइट, पैनल, लाइट फीटिंग आदि) को घटाते हुये आगणन ₹1129.08 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये ₹1050.39 लाख (रूपये दस करोड़ पचास लाख उन्नचालीस हजार मात्र) के आगणन की प्रशासनिक स्वीकृति अधोल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृत है, अतः इसे व्यय करने के लिये वित्तीय स्वीकृति के रूप में न लिया जाय। वित्तीय स्वीकृति एन0टी0पी0सी0 से धनराशि प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी तथा एन0टी0पी0सी0 से धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी अथवा व्यय भार सृजित नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एन0टी0पी0सी0 से जिस अनुसार किश्तों में धनराशि प्राप्त होगी उसी अनुसार तदोपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2.....

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी लागत राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्य के लिये राज्य सरकार एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य पूर्व हस्ताक्षरित अनुबन्ध के संगत प्राविधानों के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि एन0टी0पी0सी0 द्वारा दी जायेगी।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(7) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कर लिया जायेगा।

(10) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(11) आगणन में प्राविधानित स्ट्रीट लाइट, पैनल, लाइट फिटिंग आदि कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ हुये एम0ओ0यू0 के अनुसार निर्धारित समय सारिणी एवं कार्ययोजना तैयार करते हुये, समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण किया

क्रमशः 3.....

जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्यदायी संस्था के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 की समय सारिणी एन0टी0पी0सी0 के साथ हुये एम0ओ0यू0 की समय सारिणी के अन्तर्गत ही रखी जाये।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–349(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनॉक 24.12.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (हाईड्रो) एन0टी0पी0सी0 लि0, हाइड्रो क्षेत्र मुख्यालय, पॉचवा तल, ए–विंग कृभको भवन, प्लाट नं0–ए–10, सेक्टर–1, नोएडा।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/कोषाधिकारी, कालाढुंगी/नैनीताल।
7. महाप्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 अंचल कार्यालय, सबदरगंज इनक्लेव, नई दिल्ली।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, मेडिकल कालेज इकाई हल्द्वानी।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।